उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

संख्या–106/01/PC-21/G-2/2022–23 दिनांक 23 जून, .2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी/आरक्षी पीएसी/आई.आर.बी. (पुरूष)/फायरमैन (अग्निशामक) (पुरूष/महिला) परीक्षा– 2021 के चयन परिणाम दिनांक 21.05.2023 के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके संबंध में मा0 आयोग द्वारा विचारोपरांत निम्नवत प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया गया हैः–

क्रमांक	प्रार्थी का नाम, अनुक्रमांक व तिथि	प्रार्थी का कथन	प्रत्यावेदन निस्तारण
01.	**01.** श्री अरविन्द कुमार व अन्य दिनांक–22.05.2023 **02.** श्री अतुल कुमार दिनांक–23.05.2023 **03.** श्री सचिन नेगी दिनांक–27.05.2023 **04.** श्री वीरू रावत दिनांकः–22.05.2023 **05.** श्री दरपान सिंह दिनांक– 22.05.2023 **06.** श्री पंकज रौतेला दिनांक–22.05.2023 **07.** श्री बृजेश कुमार दिनांक–22.05.2023 **08.** श्री आशीष धीमान व अन्य 19 प्रार्थीगण अदिनांकित	प्राथीगण का कथन है कि विज्ञापन संख्याः 42/उ0अ0 से0 च0आ0/2021 में फायरमैन (अग्निशामक) में कुल पदों की संख्या 445 थी, जिसमें पुरूषों के पदों की संख्या 312 थी तथा महिला के पदों की संख्या 133 थी। दिनांक 21.05.2023 के परिणाम में महिलाओं को अधिक पदों (321 पद) पर चयनित किया गया तथा पुरूषों को कम पदों (124 पद) पर चयनित किया गया जो कि विज्ञापन के अनुसार सही नहीं है। उक्त परिणाम में पुरूषों के पद काटकर महिलाओं को 75% पद दिये गये तथा पुरूषों को केवल 25% सीटों पर चुना गया है जो कि बिल्कुल गलत आरक्षण है। प्रार्थीगण द्वारा महिलाओं को उनके लिए निर्धारित संख्या तक चयन करते हुए चयन परिणाम में संशोधन का अनुरोध किया गया है।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 28.12.2021 को उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी/आरक्षी पीएसी/आई.आर.बी.(पुरूष)/फायरमैन (अग्निशामक) (पुरूष/महिला) परीक्षा–2021 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक अर्हता एवं दक्षता परीक्षा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसके पश्चात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 42 दिनांक 23.09.2022 द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये गये तथा आयोग द्वारा इस परीक्षा की अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रश्नगत विज्ञापन में फायरमैन अग्निशामक (पुरूष/महिला) के 445 पद विज्ञापित हुए हैं। उक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित/उत्तराखण्ड महिला के लिए 71, अनुसूचित जाति/उ0 महिला के लिए 25 अनुसूचित जनजाति/उ0महिला के लिए 05, अन्य पिछड़ा वर्ग/उ0 महिला के

			लिए 19 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उ0 महिला के लिए 13 पद इस प्रकार कुल 133 पद श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विज्ञापित हैं। उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 1012/कार्मिक –2/2003 दिनांक 19.09.2003 में प्राविधान है कि यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथा उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 482/ कार्मिक–2/2003 दिनांक 13.05.2003 में क्षैतिज आरक्षण निर्धारण के संबंध में व्यवस्था स्पष्ट की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम स्तर से ऊपर प्रवीणता सूची में स्थान पाने के लिए अर्ह अभ्यर्थियों में यदि क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो वह स्थान प्रवीणता क्रम में अगले अभ्यर्थी से भरा जायेगा। उपरोक्त विज्ञापन में महिलाओं के लिए पृथक से पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं अपितु क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत ही महिलाओं के लिए पदों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त शासनादेशों एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के क्रम में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने के पश्चात शेष पदों के सापेक्ष प्रवीणता क्रम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित होता है

			तब उसका समायोजन अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में महिलाओं का चयन क्षैतिज आरक्षण एवं खुली प्रतियोगिता में उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है। उक्त चयन में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में निर्धारित रिक्तियों से अधिक महिलाओं का चयन प्रवीणता के आधार पर पूर्ण रूप से नियम संगत है। तद्क्रम में प्रत्यावेदन में महिलाओं को फायरमैन/अग्निशामक पद पर अधिक संख्या में चयनित करने से संबंधित आपत्ति को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।
02	**1.** श्री कुलदीप कुमार **(1842000039234)** अदिनांकित **2.** श्री विपिन गिरी **(1842000038492)** **3.** श्री मोहित रावत **(1742000041458)** **4.** श्री प्रकाश रावत **(2242010001644)** अदिनांकित **5.** श्री दुर्गा प्रसाद **(1542000013191)** दिनांकः–22.05.2023	प्रार्थीगण का उत्तराखण्ड पुलिस कॉस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक के संबंध में निम्न कथन हैः– **1.** श्री कुलदीप कुमारः– उन्हें 88 अंक प्राप्त हुए थे। जबकि आयोग की वेबसाईट पर उनके प्राप्तांक 78 दर्शाये गये हैं। **02.** श्री विपिन गिरीः– शारीरिक दक्षता परीक्षा में लम्बी कूद में 16 अंक प्राप्त किये थे, परन्तु प्रार्थी को 14 अंक दे दिये गये। **03.** श्री मोहित रावतः–उनके प्राप्तांक 82 के स्थान पर 84 होने चाहिए। **04.** श्री प्रकाश रावत– शारीरिक दक्षता परीक्षा में 94 अंक प्राप्त किये गये हैं, जिससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं है, जिसके क्रम में पुनः परीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। **05.** श्री दुर्गा प्रसादः–उनके शारीरिक परीक्षा में 88 अंक के बजाए 86 अंक प्रिंट हुए हैं, जिसकी वजह से उनका चयन नहीं हुआ है।	शारीरिक अर्हता/दक्षता परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। उक्त परीक्षा से संबंधित विवरण पैन ड्राइव में एवं हार्ड कॉपी में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण के प्रत्यावेदन के क्रम में हार्ड–कॉपी के डाटा से प्राप्तांक का परीक्षण किया गया, जिसमें प्रार्थीगण के शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक निम्नवत हैं– नाम — प्राप्तांक 01. श्री कुलदीप कुमार– 78 02. श्री विपिन गिरी– 90 03. श्री मोहित रावत– 82 04. श्री प्रकाश रावत– 94 05. श्री दुर्गा प्रसाद– 86 उपरोक्त परीक्षण के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया संदेह निराधार है, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन बलहीन होने के आधार पर निरस्त किये जाते हैं।
03	**01.** श्री मुकेश कुमार अनुक्रमांक–**1842000035036**	प्रार्थी श्री मुकेश कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 22.05.2023 में कथन है कि अंतिम चयन परिणाम में उनके 106	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28.12.2021 के बिंदु संख्या–3 में

	दिनांक– 22.05.2023 **02.** श्री शंकर लाल अनुक्रमांक–**1642000005401** दिनांक–24.05.2023	अंक हैं जबकि कट–ऑफ 99.0303 है। इसी प्रकार श्री शंकर लाल का कथन है कि उनके कुल प्राप्तांक 109.8059 हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका चयन परिणाम में नाम नहीं है। इस संबंध में उन्होंने चयन परिणाम में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।	उल्लेख है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थी को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे। प्रार्थी श्री मुकेश कुमार के लिखित परीक्षा में 34.9487 एवं श्री शंकर लाल के लिखित परीक्षा में 27.8059 अंक हैं। प्रार्थीगण विज्ञापन के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के मानक को पूर्ण नहीं करते हैं, जिस कारण प्रार्थीगण लिखित परीक्षा में अनर्ह है। यद्यपि शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के योग के आधार पर प्रार्थीगण के प्राप्तांक चयनित अभ्यर्थी के कट–ऑफ मार्क्स से अधिक हैं परन्तु लिखित परीक्षा में अनर्ह होने के कारण प्रार्थीगण का चयन प्रश्नगत परीक्षा में नहीं किया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदन बलहीन होने के आधार पर निस्तारित किया जाता है।
4.	श्री जितेन्द्र सिंह दानू अनुक्रमांक–**1242000003313** दिनांक– 26.05.2023	श्री जितेन्द्र सिंह दानू का कथन है कि वे उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हुए थे, जिसका चयन परिणाम दिनांक 21.05.2023 को घोषित किया गया है। उपर्युक्त चयन परिणाम में लिखित परीक्षा में उनके 61 प्रश्न सही दर्शाये गये हैं, जबकि आयोग द्वारा घोषित अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार उनके 65 प्रश्न सही हो रहे हैं। इन 65 प्रश्नों को उनके शारीरिक परीक्षा के अंकों में जोड़ने पर उनके प्राप्तांक 156 हो रहे हैं। जबकि आयोग द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की कट–ऑफ 153.8974 है। उक्त के क्रम में प्रार्थी	प्रार्थी के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक एवं उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षण किया गया, जिसमें प्रार्थी के 61 प्रश्न सही है, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा में प्राप्तांक 56.1120 हैं। शारीरिक दक्षता के प्राप्तांक जोड़ने पर कुल प्राप्तांक 152.1220 हैं। प्रश्नगत चयन परिणाम में पीएसी के लिए कट–ऑफ 153.8974 हैं। तद्क्रम में प्रार्थी के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित जाता है।

		द्वारा चयन परिणाम में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।	
5.	कु0 दीपशिखा राही अनुक्रमांक–1742000031947 दिनांक रहित	प्रार्थिनी कु0 दीपशिखा राही का कथन है कि वह अनुसूचित जाति एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित की अभ्यर्थी हैं। प्रार्थिनी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपने उक्त प्रमाण पत्रों से सूचना अंकित की थी। किन्तु अब यह संज्ञान आया है कि स्वतन्त्रता सैनानी व अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।	अवगत कराना है कि प्रार्थी के लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा में प्राप्तांक 32.3977 हैं, जो कि विज्ञापन के बिंदु संख्या–03 के अनुसार लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक के मानक को पूर्ण नहीं करते है, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित परीक्षा में अनर्ह है। तद्‌दुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
6.	श्री रवि अधिकारी अनुक्रमांक– 1142000007037 दिनांक– 26.05.2023	प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखण्ड पुलिस/आरक्षी पीएसी/आई.आर.बी. (पुरूष)/फायरमैन/अग्निशामक (पुरूष/महिला) परीक्षा–2021 के अंतर्गत अनारक्षित/डी0एफ0एफ0 के 08 पद, पीएसी/आईआर.बी. में 03 पद एवं फायरमैन में 04 पद आरक्षित थे, इस प्रकार कुल 15 पदों के सापेक्ष 13 पदों पर सामान्य/डी0एफ0एफ0 के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तथा 02 पदों में से 01 पद पर ई0डब्ल्यू0एस0/डी0एफ0एफ0 के अभ्यर्थी एवं 01 पद पर महिला अभ्यर्थी का फायरमैन पद पर चयन हुआ है। सामान्य/डी0एफ0एफ0 के पदों पर ई0डब्ल्यू0एस0/डी0एफ0एफ0 के अभ्यर्थी का चयन एवं फायरमैन के डी0एफ0एफ0 के पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन गलत है। उपरोक्त के क्रम में उक्त पदों के चयन पर पुनःविचार करते हुए सामान्य/डी0एफ0एफ0 के अभ्यर्थियों से चयन करने का अनुरोध किया गया है।	अनारक्षित/डी0एफ0एफ0 के तीनों विभागों में कुल 15 पद थे, जिनके सापेक्ष मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अनारक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जा सकता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार फायरमैन विभाग के डी0एफ0एफ0 पदों पर मैरिट के आधार पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि फायरमैन के पद पुरूष एवं महिला दोनों के लिए हैं तथा क्षैतिज आरक्षण के डी0एफ0एफ0 के पदों पर पुरूष व महिला में से कोई भी अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चयन का पात्र है। तद्क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित जाता है।
7.	श्री रवि कुमार अनुक्रमांक–**17420000177795** दिनांक–25.05.2023	प्रार्थी श्री रवि कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 25.05.2023 में कथन है कि उनके द्वारा पुलिस आरक्षी परीक्षा हेतु होमगार्ड कोटे से सामान्य श्रेणी में	अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित होमगार्ड का कोई भी पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के आधार पर समायोजित नहीं

		आवेदन किया गया था। अंतिम चयन परिणाम में होमगार्डस के 54 पदों के सापेक्ष 41 पदों पर चयन किया गया है परन्तु उनका चयन मात्र 0.0816 नम्बर से अंतिम सूची में नहीं आया है। प्रार्थी शारीरिक तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण था। तथा होमगार्ड्स के 13 पद रिक्त रह गये हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त के संबंध में उचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।	किया गया है। अभ्यर्थी पुलिस एवं पीएसी/आई.आर.बी. में प्राप्तांक के आधार पर चयनित नहीं हो पाया है। प्रार्थी के प्राप्तांक 123.5302 हैं, जबकि पुलिस आरक्षी में चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 138.9384 तथा पीएसी/आई.आर.बी. में 123.6118 हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक धारित है तथा अनारक्षित श्रेणी में होमगार्ड का कोई पद मूल श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध का अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण को सूचित किया जाता है कि मा0 आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार उनके प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये हैं।

23/6/2023

(अवधेश कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव